मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

विज्ञप्ति 10 अक्तूबर

छात्र संघ चुनाव पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रूख़

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ के चुनाव कराने के मामले को लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल 5 अक्तूबर, 2017 को वाइस चांसलर से मिला और इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। वाइस चांसलर ने उनकी मांग पर विचार किया और जामिया मिल्लिया में छात्र संघ के चुनाव कराने की उनकी मांग पर सिद्धांतः सहमत हुए। हालांकि, वाइस चांसलर ने छात्रों को इस मामले से जुडी क़ानूनी और तकनीकी समस्याओं से अवगत कराया।

:1: एक छात्र ने छात्र संघ के चुनाव कराने को लेकर 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

:2: इस मामले से संबंधित तमाम रिकार्ड और दस्तावेज़ आधिकारिक रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं।

:3: रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए नियमित मामले की श्रेणी में सूचीबद्ध है।

ऐसे में मामला अदालत में विचाराधीन है, विश्वविद्यालय ने इस मामले के रिकार्ड हासिल करने के लिए 9 अक्तूबर 2017 को आवेदन किया है।

कानूनी रूप से कहें तो इस मामले में केवल तीन विकल्प हैं:

:ए: याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय से मामला वापस ले ले, या

:बी: विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्र, इच्छुक पक्षकार के रूप में इस विचाराधीन मामले में उच्च न्यायालय से तुरंत राहत देने का आग्रह करें, या

:सी: नियमित मामले के रूप में यह केस उसके गुण दोष के रूप में तय किया जाएगा।

उच्च न्यायालय से जैसे ही आधिकारिक रिकार्ड उपलब्ध हो जाएंगे मामले के कानूनी पहलुओं पर गौर करके उपलब्ध विकल्पों के आधार पर मामले का समाधान किया जाएगा।

ऐसे में यह स्पष्ट है कि माननीय अदालत के विशिष्ट निर्देश के बिना छात्रों या विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया कोई भी कदम अदालत की अवमानना होगा।

इन तथ्यों के मद्देनज़र विश्वविद्यालय के हाथ बंधे हुए हैं।

प्रो साइमा सईद

मीडिया कोऑर्डनैटर